

प्रेषक,

डॉ रणबीर सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

समाज (सैनिक) कल्याण अनुभाग-3,

देहरादून:

दिनांक: ०५ फरवरी, 2014

विषय:-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत ब्लॉक प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1002/ब्लॉक प्र0/एस0के0 -03 दिनांक 15 अक्टूबर, 2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सैनिक कल्याण विभागान्तर्गत कार्यरत ब्लॉक प्रतिनिधियों को देय मानदेय की धनराशि निम्न तालिका के अनुसार अधोवर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	पूर्व प्राविधानित	वर्तमान प्राविधानित
1	रूपये 4000/-प्रतिमाह, प्रति ब्लॉक प्रतिनिधि	रूपये 5000/-प्रतिमाह, प्रति ब्लॉक प्रतिनिधि एवं रू0 1000/- प्रतिमाह यात्रा भत्ता

- उक्त वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू मानी जायेगी।
- पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-251 /XVII-3/2010-09(46)/2007 दिनांक 10 जून, 2010 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।
- उक्त ब्लॉक प्रतिनिधियों को मानदेय/यात्रा भत्ता दिये जाने से उनकी स्वयं सेवकों के रूप में स्थापित भूमिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- किसी ब्लॉक प्रतिनिधि के अनियमित कार्य अथवा शिथिलता बरतने पर यह मानदेय/यात्रा भत्ता बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।
- इस मद में यथावश्यकता अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव निदेशालय द्वारा विभिन्न बचतों से नियमानुसार पुनर्विनियोग का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।
- शेष शर्तें एवं प्राविधन शासनादेश-429 / XVII-(2)/2006-09(42)/2007 दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 के अनुसार ही लागू रहेंगे।
- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-96 /XXVII(1)/2014, दिनांक 24 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)  
प्रमुख सचिव।



संख्या ११ / XVII-3 / 14-09(4) / 2007 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मण्डलायुक्त गढ़वाल एवं कुमायूं उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-3 उत्तराखण्ड शासन।
- ✓ 9. राष्ट्रीय सूचना विभाग केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. समस्त जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,



(जी0 एस0 भाकुनी)

अनु सचिव